न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवली जिला टोंक राज0

(श्री अशोक कुमार त्यागी **R.A.S.** उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिसल संख्या :– 467/2018 निर्णय दिनांक :– 05.09.2019

उनवानी प्रार्थना पत्रः–

1. रंगलाल पुत्र कजोड़ जाति कुम्हार निवासी चान्दली तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।
2. लालाराम पुत्र कजोड़ जाति कुम्हार निवासी चान्दली तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।
3. रामप्यारी पुत्री कजोड़ जाति कुम्हार निवासी चान्दली तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।
4. प्रेम पुत्री कजोड़ जाति कुम्हार निवासी चान्दली तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।
5. नारायणी पत्नी कजोड़ जाति कुम्हार निवासी चान्दली तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।
6. देवलाल पुत्र रोडू जाति कुम्हार निवासी चान्दली तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।
7. काली पुत्री रोडू जाति कुम्हार निवासी चान्दली तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।
8. सन्तोक पुत्री रोडू जाति कुम्हार निवासी चान्दली तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।
9. सुगना पुत्री रोडू जाति कुम्हार निवासी चान्दली तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।
10. मोत्या पत्नी रोडू जाति कुम्हार निवासी चान्दली तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।
11. फूला पुत्री कजोड़ जाति कुम्हार निवासी चान्दली तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।

–प्रार्थी–

बनाम

1. तहसीलदार देवली तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।
2. गोपाल पुत्र बख्तावरा जाति कुम्हार निवासी चान्दली तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।
3. बदाम पिता बख्तावरा जाति कुम्हार निवासी चान्दली तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।
4. गोकली पिता बख्तावरा जाति कुम्हार निवासी चान्दली तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।

–अप्रार्थीगण–

उपस्थितिः–
श्री आर. एन. तुनगाररिया
अधिवक्ता प्रार्थीगण

तहसीलदार देवली
अप्रार्थी संख्या 1
श्री राजेश जैन
अप्रार्थी संख्या 2 ता 4

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए रा0अ0 अधिनियम

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्राथीगण की खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी खाता संख्या 23 खसरा नम्बर 940 रकबा 0.43 है0 वाके ग्राम चान्दली पटवार हल्का चान्दली तहसली देवली जिला टोंक राज0 में स्थित है। प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि ख. नं. 940 रकबा 0.43 है0 मुख्य मार्ग ख. नं. 2985 में बने हुये मार्ग/रास्ता के मध्य अप्राथी नं. 1 की राजकीय भूमि ख. नं. 939 व अप्रार्थी नं. 2 ता 4 की खातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमि ख. नं. 2984 पर काबिज काश्त है तथा अप्रार्थी नं. 1 लेण्ड होल्डर के नाम राजकीय सिवायचक भूमि ख. नं. 939 जिस पर अप्रांर्थीगण 2 ता 4 काबिज काश्त है। उक्त दोनो ख. नं. में से आधी आधी करीब 15 फीट चौड़ाई वाले रास्ते से हम प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की

भूमि पर काश्त हेतु आते जाते रहे है और यही पर मौके पर रास्ता बना हुआ था। उक्त रास्ते को अप्रार्थी नं. 2 ता 4 ने हाल ही में हाक जोत कर कृषि भूमि में तब्दील कर दिया तथा रास्ते को बन्द करने की नियत से कच्ची दीवार बना दी और रास्ते को बन्द कर दिया जिससे हम प्रार्थीगण हमारी भूमि पर फसल भी काश्त नही कर पाये , हम प्रार्थीगण की भूमि मौके पर रास्ते की आने जाने की सुविधा नही होने से वर्तमान में मौके पर पड़त पड़ी हुई है। हम प्रार्थीगण उक्त ख. नं. 2984 व ख. नं. 939 में नये रास्ता/नया मार्ग उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक व सुलभ है क्योंकि हम प्रार्थीगण की भूमि व ख. नं. 2985 में राजकीय भूमि में बने हुये रास्ते/मार्ग के मध्य अप्रार्थीगण नं. 1 की राजकीय सिवायचक भूमि, ख. नं. 939 व अप्रार्थीगण नं. 2 ता 4 की खातेदारी भूमि ख. नं. 2984 की भूमि से रास्ता दिये जाने पर सबसे कम दूरी पड़ती है। हम प्रार्थीगण्ए की खातेदारी की भूमि में आने जाने के लिए अप्रार्थीगण नं. 2 ता 4 की भूमि ख. नं. 2984 व अप्रार्थी नं. 1 की राजकीय भूमि ख. नं. 939 पर अप्रार्थीगण 2 ता 4 काबिज काश्त होने से आने जाने से रोकते है तथा रास्ते को हाल ही होंक जोत कर कच्ची दीवार बना कर बन्द कर दिया है । इस कारण प्राथीगण को उक्त भूमि में रास्ते की अत्यन्तिक आवश्यकता है।

अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई। अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 की ओर से अधिवक्ता राजेश जैन ने वकालतनामा व जवाब पेश किया। जवाब के अनुसार चरण नं. 1 स्वीकार किया गया है। चरण नं. 2 को गलत व अस्वीकार है, बताते हुए लिखा कि प्रार्थीगण के पास अपने खेतो में जाने के लिये वर्तमान में रास्ता उपलब्ध है जो तालाब की पाल पर होकर ख. नं. 939 सिवायचक में होकर बना हुआ है। ख. नं. 939 जो कि सिवायचक है उस पर प्रार्थीगण के खेत की सीध में प्रार्थीगण ने ही कब्जा कर रखा है। चरण नं. 3 को आंशिक स्वीकार करते हुए बताया कि ख. नं. 939 जिस पर प्रार्थीगण का कब्जा है तथा इस भूमि के अड़वा ही गैर मुमकिन पाल ख. नं. 937 की भूमि है जो प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के ख. नं. 939 जो सिवाय चक भूमि है जिस पर प्रार्थीगण के खेत की सीध में प्रार्थीगण का कब्जा है उधर से मिट्टी का स्लोप बनाकर रास्ता बना सकते है। वर्तमान में चान्दली माताजी के यहां आने–जाने वाले सभी यात्री ख. नं. 937 पर होकर आ रहे जा रहे है। प्रार्थीगण जबरन अप्रार्थीगण को हैरान व परेशान करने की नियत से प्रार्थना पत्र पेश किया है। चरण नं. 4 अस्वीकार करते हुए बताया कि ख. नं. 940 में जाने के लिये ख. नं. 937 व ख. नं. 939 में से रास्ता दिया जा सकता है जो सबसे कम दूरी पर स्थित है। यदि प्रार्थीगण को ख. नं. 940 के समानान्तर स्थित भूमि सिवायचक ख. नं. 939 में से रास्ता दिया जाता है तो तालाब की पाल ख. नं. 937 से सीधा 939 से ख. नं. 940 में जाने का रास्ता दिया जा सकता है जो कि प्रार्थीगण के द्वारा चाहे गये रास्ते से बहुत कम दूरी पर पड़ता है। चरण नं. 5 अस्वीकार करते हुए बताया कि प्रार्थीगण कभी भी ख. नं. 2984 व इसके अड़वा सिवायचक भूमि 939 पर से कभी भी अपने खेतों में नहीं गये । इस कारण से अप्रार्थीगण के द्वारा उनके खेत में जाने का रस्ता रोके जाने का तथ्य गलत वर्णित किया है। चरण नं. 6 व 7 को गलत व अस्वीकार बताया है।

तहसीलदार देवली से मौके की विस्तृत रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार देवली ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट में बताया कि प्रार्थी की आराजी पर पहुंचने के लिए मौका व रिकॉर्ड के अनुसार रिकॉर्डेड रास्ता उपलब्ध नही है। तहसीलदार देवली ने भी अपनी रिपोर्ट के अनुसार ग्राम चान्दली के ख. नं. 939 रकबा 0.43 है0 पर पहुंचने के लिये अन्य वैकल्पिक रास्ता नहीं है तथा रास्ते की आवश्यकता अत्यधिक है। प्रस्तावित रास्ते की लम्बाई व चौड़ाई क्रमशः 100 मीटर व 5 मीटर अर्थात 500 वर्गमीटर भूमि बनती हैं। प्रस्तावित रास्ते की वर्तमान दर 4483/–रूपये प्रति ऐअर है, दूगनी दर से प्रतिकर राशि 44,430/–रूपये बनते है। आवेदक की आराजी स्वयं की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी द्वारा ग्राम चांदली के ख. नं. 939 रकबा 0.38 है0 व ख. नं. 2984 में से रास्ता चाहा गया है। प्रार्थी को ख. नं. 939 में से रास्ता दिया जाना उचित है जो प्रस्तावित लाला स्याही से किया हुआ है। ख. नं. 2984 में से रास्ता दिया जाना उचित नही है। मौके पर पर्याप्त सिवायचक भूमि मौजूद हैं। प्रस्तावित रास्ते में ख. नं. 939 रकबा 0.38 है0 में कोई पेड़ व हरे वृक्ष नहीं है। अप्रार्थी तहसीलदार देवली उक्त रास्ता देने के लिए सहमत है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी के ख. नं. 940 में जाने के लिए ख. नं. 937 सिवाचयक व ख. नं. 2984 के मध्य में से देना ही प्रार्थी के लिए हितकर रहेगा। तहसीलदार देवली के अनुसार ख. नं. 937 में से रास्ता लिया जा सकता है जबकि ख. नं. 937 पर ख. नं. 2984 के सामने अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 का कब्जा काश्त है और इन्होने पत्थर की दीवार भी बना रखी है जिसको हटाकर रास्ता दिया जाता है तो अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 फिर इसे बन्द कर देगे और रोजाना लड़ाई झगड़े होने की सभावना हो जाएगी। ख. नं. 937 के सामने गै. मु. पाल है जिस पर से प्रार्थीगण के साधन ट्रेक्टर आदि नहीं निकल सकते। अतः प्रार्थी को प्रार्थना पत्र के अनुसार रास्ता दिया जाना आवश्यक है।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 ने अपनी बहस में जवाब के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया प्रार्थी क्लीन हैन्ड से न्यायालय से न्यायालय में नही आया है, अप्रार्थीगण को हैरान व परेशान करने के मकसद से यह प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश किया है जो कि धारा 251 ए के प्रावधानो के विपरीत है। जबकि धारा 251 ए के अन्तर्गत रास्ता तब दिया जा सकता है जब अपनी जौत में पहुंचने के लिए अन्य कोई विकल्प मौजूद नहीं हो। जबकि प्रार्थी के ख. नं. 940 के सामने सिवायचक भूमि 939 है जिस पर प्रार्थीगण का ही कब्जा है तथा ख. नं. 939 के अड़वा ही गैर मुमकिन पाल ख. नं. 937 है जो काफी चौड़ी है जिस पर चान्दली माताजी के आने जाने वाले यात्री आते जाते है जिस पर मिट्टी से स्लोप बनाकर ख. नं. 939 में से होते हुए प्रार्थी के ख. नं. 940 में से आया जाया जा सकता है। प्रार्थीगण को कीमतन रास्ता लेने की आवश्यकता ही नहीं हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया। उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। नक्शा ट्रेस के अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि प्रार्थीगण के ख. नं. 940 के समक्ष ख. नं. 939 जो कि राजकीय सिवायचक भूमि है जिस पर प्रार्थीगण का ही कब्जा दृष्टिगोचर होता है। तथा इसके अड़वा ही गैर मुमकिन पाल है जो काफी अधिक चौड़ी व उंची है जिस पर से प्रार्थी आसानी से मिट्टी का स्लोप बनाकर अपनी जोत में पहुंच सकता है। इसके अलावा प्रार्थी ख. नं. 939 जो कि राजकीय भूमि है जिस पर होकर आ जा सकता है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए के प्रावधानो के विपरीत होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांक 05.04.2019 को सुनाया गया।

9

उपखण्ड अधिकारी
देवली